

FORM -'E-1'

रीको गैर औद्योगिक भवन विनियम, (संशोधित)

1. भवन निर्माण की श्रेणियां एवं मानदण्ड :

1.1 विभिन्न भू उपयोगों के लिए आवश्यक भवनों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की दृष्टि से निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग में आने वाली गतिविधियों की अनुसूची इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची (1) में दी गई है:

1.1.1 आवासीय भवन:

- (क) आवासीय भवन
- (ख) फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग

1.1.2 वाणिज्यिक भवन:

- (क) लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें
- (ख) व्यावसायिक परिसर/होटल
- (ग) मोटल/रिसोर्ट
- (ङ) धर्म कांटा (वे ब्रिज)
- (च) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स
- (छ) पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन
- (ण) कोचिंग सेन्टर,
- (त) *छात्रावास

* छात्रावास भवन निर्माण हेतु भवन मानदण्ड संस्थागत भवनों हेतु निर्धारित भवन मानदण्ड अनुसार होंगे (तालिका "घ"अनुसार)।

1.1.3 संस्थागत भवन

1.2 आवासीय भवन:

आवासीय भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैट बैक की न्यूनतम आवश्यकता, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई, एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका "क" व "ख" जैसा भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार होगी।

तालिका "क"

नयी योजनाओ हेतु मार्गदर्शक रूपरेखा एवं पृथक आवासीय भूखण्डो मे भवन निर्माण हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	भूखण्ड का आकार	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिकतम उंचाई	एफ. ए. आर.
			सामने	पार्श्व 1	पार्श्व 2	पीछे		
(i)	45 व. मी. तक के अन्दर	सेट बेक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	1.5	-	-	-	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(ii)	45 व. मी. से ज्यादा परन्तु 112.5 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	3.0	-	-	1.5	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(iii)	112.5 व. मी. से ज्यादा परन्तु 175 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	3.0	-	-	2.5	12 मी.	1.2
(iv)	175 व. मी. से ज्यादा परन्तु 220 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	4.5	-	-	2.5	12 मी.	1.2
(v)	220 व. मी. से ज्यादा परन्तु 300 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	4.5	3.0	-	3.0	12 मी.	1.2
(vi)	300 व. मी. से ज्यादा परन्तु 500 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	6.0	3.0	-	3.0	12मी.	1.2
(vii)	500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 750 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	7.5	3.0	3.0	3.0	12 मी.	1.2

तालिका 'क' हेतु टिप्पणी :

- (i) आवासीय भूखण्ड पर एक से अधिक निवास इकाई देय है।
- (ii) विनियम (4) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा।

तालिका "ख"

गुप हाउसिंग/फ्लेट्स निर्माण हेतु मानदण्ड

क्र० सं०	भूखण्ड का न्यमनतम आकार	अधिकतम आच्छादित	न्यूनतम सैट बेक्स (मी.)				अधिकतम उंचाई	एफ. ए. आर.
			सामने	पार्श्व	पार्श्व	पीछे		
1.	750 व. मी. से 1500 व. मी. तक	सेट बेक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम 2.4 के अनुसार	1.67
2.	1500 व. मी. से 2500 व. मी. तक	सेट बेक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	12.0	6.0	6.0	6.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.67
3.	2500 व. मी. से 4000 व. मी. तक	40 प्रतिशत	12.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.67
4.	4000 व. मी. से ज्यादा परन्तु 1 हेक्टेयर तक	35 प्रतिशत	15.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.67
5.	1 हेक्टेयर से ज्यादा परन्तु 10 हेक्टेयर तक	35 प्रतिशत	18.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.67

तालिका “ख” हेतु टिप्पणी:

- (i) विनियम (4) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान कराना आवश्यक होगा।
- (ii) 15 मीटर से अधिक उंचा भवन होने पर लिफ्ट की सुविधा प्रदान करानी होगी तथा आपातकालीन अग्निशमन का प्रावधान करना होगा। अग्निशमन के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होंगे।
- (iii) योजना क्षेत्र में स्वतंत्र आवास का भूखण्ड होने की स्थिति में सामने का सैट बैक (कोने के भूखण्ड में बड़ी सड़क की तरफ का सैट बैक) तालिका अनुसार अथवा योजना अनुसार जो भी अधिक हे देय होगा। कोने के भूखण्ड में छोटी सड़क की तरफ का सैट बैक योजना अनुसार रहेगा।
- (iv) कुल स्वीकृत योग्य एफ.ए.आर. क्षेत्र का 3 प्रतिशत दुकानों के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो कि केवल स्टिल्ट फ्लोर पर देय है
- (v) भूखण्ड के सामने के सड़क की चौड़ाई 12 मी. से कम होने पर देय एफ.ए. आर. 1.2 तक सीमित होगा ।
- (vi) भूखण्ड में प्रत्येक 150 व.मी. क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मी. या इससे अधिक उंचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगे।
- (vii) बहुमंजिले आवासीय भवन 18 मी. एवं उससे अधिक चौड़ी सड़को पर ही

अनुज्ञेय होंगं

1.3 वाणिज्यिक भवन:

वाणिज्यिक भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल सेट बेक की न्यूनतम आवश्यकता, अधिकतम आच्छादित क्षेत्र, अधिकतम ऊंचाई एवं एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका 'ग' के अनुसार होंगी।

तालिका "ग" वाणिज्यिक भवनों हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	उपयोग का प्रकार	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सेट बेक्स (मी.)				अधिकतम उंचाई	एफ. ए. आर. '
			सामने	पार्श्व 1	पार्श्व 2	पीछे		
1.	लघु व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने							
(i)	45 व. मी. तक	सेट बेक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	1.5	-	-	-	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(ii)	45 व. मी. से ज्यादा परन्तु 112.5 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	3.0	-	-	1.5	8 मी.	जो भी प्राप्त हो
(iii)	112.5 व. मी. से ज्यादा परन्तु 175 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	3	-	-	2.5	12 मी.	जो भी प्राप्त हो
(iv)	175 व. मी. से ज्यादा परन्तु 220 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	4.5	-	-	2.5	12 मी.	जो भी प्राप्त हो
(v)	220 व. मी. से ज्यादा परन्तु 300 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	4.5	3.0	-	3.0	12 मी.	जो भी प्राप्त हो
(vi)	300 व. मी. से ज्यादा परन्तु 500 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	6.0	3.0	-	3.0	12 मी.	जो भी प्राप्त हो
2	व्यवसायिक परिसर							
(i)	500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 750 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	7.5	3.0	3.0	3.0	विनियम 2.4 के अनुसार	जो भी प्राप्त हो
(ii)	750 व. मी. से ज्यादा परन्तु 1500 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	9	4.5	4.5	4.5	उपरोक्तानुसार	1.75
(iii)	1500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 2500 व. मी. तक	उपरोक्तानुसार	12.0	6.0	6.0	6.0	उपरोक्तानुसार	1.75
(iv)	2500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 4000 व. मी. तक	40%	12.0	9.0	9.0	9.0	उपरोक्तानुसार	1.75
(v)	4000 व. मी. से ज्यादा परन्तु 1 हेक्टेयर तक	35%	15.0	9.0	9.0	9.0	उपरोक्तानुसार	1.75

(vi)	1 हेक्टेयर से ज्यादा	35%	18.0	9.0	9.0	9.0	उपरोक्ता नुसार	1.75
3.	मोटल	15%	30.0	15.0	15.0	15.0	9.0 मी.	0.4
4.	रिसोर्ट	10%	30.0	15.0	15.0	15.0	9.0 मी.	0.2
5.	थोक व्यापार केन्द्र एवं वेयर हाउसिंग	35%	12.0	9.0	9.0	9.0	12.0 मी.	1.0
6.	सिनेमा	30%	18.0	6.0	6.0	6.0	विनियम 2.4 के अनुसार	जो भी प्राप्त हो
7.	मल्टीप्लेक्स	30%	18.0	6.0	6.0	6.0	उपरोक्ता नुसार	1.5

टिप्पणी:

सामान्य :

- (i) जहां व्यावसायिक भूखण्डों हेतु टाईप डिजाइन स्वीकृत है वहां उसी स्वीकृत टाईप डिजाइन के भवन मानदण्ड लागू होंगे।
- (ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पार्किंग विनियम (4) के अनुसार लागू होंगे।
- (iii) यदि किसी भूखण्ड का सामने का सेट बैक 12 मी. से कम है एवं वह भूखण्ड किसी योजना का भाग नहीं है तो ऐसी दशा में भवन एवं सड़क के बीच बाउण्ड्रीवाल या रेलिंग का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (iv) 15 मीटर से अधिक ऊंचा भवन होने पर लिफ्ट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा अग्निशामन आदि का प्रावधान करना होगा। अग्निशामन के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होंगे।
- (v) व्यावसायिक भवनों/व्यावसायिक परिसरों में होटल भी शामिल है जिसके लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. होगा। सेटबैक, ऊंचाई, एफ.ए.आर. तालिका 'ग' के अनुसार देय होंगे।
- (vi) बहुमंजिले व्यावसायिक भवन 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़को पर ही अनुज्ञेय होंगे।

लघु व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने :

- (i) 12 मी. से कम चौड़ी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
- (ii) 500 व.मी. से ज्यादा परन्तु 1500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक परिसर 12 मीटर अथवा उससे अधिक चौड़ी सड़क होने पर ही 1.75 एफ.ए.आर. देय होगा।
- (iii) 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड कम से कम 18 मी.

अथवा उससे अधिक चौड़ी होने पर ही 1.75 एफ.ए.आर. देय होगा।

मोटल/रिसोर्ट :

- (i) रिसोर्ट के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर होगा एवं मोटल्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 व.मी. होगा।
- (ii) मोटल 18 मी. तथा रिसोर्ट 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अनुज्ञेय नहीं होंगे।
- (iii) मोटल्स एवं रिसोर्ट के भूखण्ड में प्रत्येक 150 व.मी. क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगे।

सिनेमा/मल्टीप्लेक्स :

- (i) सिनेमा का निर्माण “राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट 1952” एवं राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (ii) सिनेमा हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल स्कीम के अनुसार अथवा 500 सीटों तक के सिनेमाघर हेतु न्यूनतम 1500 व.मी. होगा। 500 सीटों के पश्चात् प्रत्येक 25 सीटों के पश्चात् प्रत्येक 25 सीटो या उसके भाग के लिये भूखण्ड का अतिरिक्त क्षेत्रफल 75 व.मी. होगा। मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर होगा।
- (iii) भूखण्ड योजना के अनुसार अथवा न्यूनतम 30 मी. चौड़ी सड़क पर स्थित होगा।
- (iv) यदि सिनेमा के भूखण्ड में सिनेमा के अनुषंगी उपयोग के अलावा अन्य वाणिज्यिक उपयोग जैसे दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, होटल आदि प्रस्तावित हैं, तो ऐसे वाणिज्यिक उपयोग मल्टीप्लेक्स हेतु प्रत्येक 50 व. मी. निर्मित क्षेत्र, जो कि एफ.ए.आर. में गणना योग्य हो, पर एक ई.सी.यू. की दर से एवं सिनेमा के लिए प्रत्येक दस सीट पर एक ई.सी.यू. की दर से पार्किंग प्रदान करनी होगी।

पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन :

- (i) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन के भवनों की निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (MORTH) एवं इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में जारी निर्देश तथा राज्य मार्ग एवं अन्य मार्गों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप दी जा सकेगी। किन्तु जिन राष्ट्रीय राज मार्गों के साथ निगम द्वारा सर्विस रोड दी गई

है (राष्ट्रीय राज मार्ग के साथ बनाये गयी सर्विस रोड के अलावा) एवं रीको के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले के लिए निर्माण अनुज्ञा निम्न लिखित प्रावधानों के अनुसार देय होगी ।

- (ii) यदि पेट्रोल/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन के बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड के लिए सड़क के साथ चौड़ाई न्यूनतम 25 मी. होगी तथा गहराई न्यूनतम 21 मी. होगी।
- (iii) यदि पेट्रोल/डीजल पम्प सर्विस स्टेशन के साथ बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड की सड़क के साथ चौड़ाई न्यूनतम 36 मी. होगी तथा गहराई 30 मी. होगी।
- (iv) पेट्रोल/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई रीको योजना के अनुसार 18 मी. होगी । एवं पेट्रोल/डीजल पम्प कम सर्विस स्टेशन के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई रीको योजना के अनुसार 24 मी. होगी
- (v) पेट्रोल/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन एवं पेट्रोल/डीजल पम्प कम सर्विस स्टेशन रीको योजना क्षेत्र में, रीको की सड़को पर प्रस्तावित है तो चौराहे/तिराहे (any road junction) से न्यूनतम 18 मी. के दूरी पर देय होगा ।
- (vi) पेट्रोल/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन एवं पेट्रोल/डीजल पम्प कम सर्विस स्टेशन में 6मी. X 5मी. का निर्माण के अलावा दो केबिन 1.5मी. X 1.5मी. प्रदुषण निरीक्षण व एयर कम्प्रेसर यूनिट, 1.2मी. X 1.5मी. शौचालय आदि देय होंगे । उपरोक्त निर्माण पीछे कि बाउन्ड्रीवाल से 3मी. छोड़ कर बनायी जा सकेंगे । इसके अलावा जो भी निर्माण होगा वह इण्डियन रोड काग्रेंस द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा ।
- (vii) यदि आवंटी भूखण्ड/भूमि का उपयोग पेट्रोल पम्प अथवा पेट्रोल पम्प कम सर्विस स्टेशन (जो भी लागू हो) व उपरोक्त (vi) में दिये गये आवश्यक सुविधाओं के अलावा करना चाहता है तो सम्पूर्ण भूखण्ड के क्षेत्र हेतु निम्न लिखित अतिरिक्त रूपान्तरण शुल्क देय होगा :

(क) यदि भूखण्ड राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है- प्रचलित औद्योगिक विकास शुल्क की दर का 1.5 गुना

(ख) यदि भूखण्ड राज्य मार्ग पर स्थित है- प्रचलित औद्योगिक विकास शुल्क की दर का 1.25 गुना

(ग) यदि भूखण्ड अन्य मार्ग पर स्थित है- प्रचलित औद्योगिक विकास शुल्क की दर का 0.75 गुना

यद्यपि किसी भी परिस्थिति में निम्न लिखित सुविधाएं देय नहीं होगी :

- (i) केंसीनो
- (ii) मदिरालय (वाईन एवं बीयर शॉप)
- (iii) बूचड़ खाना एवं मीट शॉप

- (iv) वह सभी प्रकार के हानिकारक व प्रदूषित करने वाले दूग्धयुक्त, तरल, धूल, धुँआ, गैस, ध्वनी, कम्पन्न, ज्वलनशील पदार्थ अथवा अन्य
- (v) आवासीय-प्रबन्धक/कर्मचारी हेतु आवश्यक आवासीय सुविधा के अतिरिक्त

धर्म कांटा (वे-ब्रिज) :-

धर्म कांटा स्थापित करने के हेतु निम्नानुसार प्रावधान रखे जायेंगे :

- (i) भूखण्ड कि न्यूनतम नाप 30 मीटर सड़क के साथ एवं 17 मीटर गहराई (510 वर्ग मीटर) रहेगी जिसमें पिछे की दीवार से 3 मीटर दूरी छोड़ कर 4 मीटर X 5 मीटर का कमरा देय होगा।
- (ii) प्रस्तावित भूखण्ड के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होगी।
- (iii) धर्म कांटा यदि रीको क्षेत्र की सड़क पर प्रस्तावित है तो चौराहे/तिराहे से न्यूनतम दूरी 18 मीटर रहेगी।
- (iv) राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य मार्ग पर यदि धर्म कांटा प्रस्तावित है तो चौराहे/तिराहे से न्यूनतम दूरी इण्डियन रोड काग्रेंस के निर्देशो के अनुरूप ही देय होगा।

1.4 संस्थागत भवन :

संस्थागत भवनों के लिए भवन निर्माण बाबत भूखण्ड का क्षेत्रफल सेट बैक की न्यूनतम आवश्यकता, ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. की सीमायें तालिका "घ" के अनुसार होंगे :

तालिका "घ"
संस्थागत भवनों हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	क्षेत्रफल	अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	न्यूनतम सेट बैक्स				अधिकतम उंचाई	देय एफ. ए. आर. '
			सामने	पार्श्व 1	पार्श्व 2	पीछे		
(i)	500 व. मी. तक	सेट बैक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	योजना के अनुसार निर्धारित सेट बैक्स				12 मी.	1.0
(ii)	500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 750 व. मी. तक	सेट बैक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	7.5	3.0	3.0	3.0	12 मी.	1.0

(iii)	750 व. मी. से ज्यादा परन्तु 1500 व. मी. तक	सेट बैक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	9.0	4.5	4.5	4.5	विनियम 2.4 के अनुसार	1.0
(iv)	1500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 2500 व. मी. तक	सेट बैक्स क्षेत्र के अलावा उपलब्ध क्षेत्र।	12.0	6.0	6.0	6.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.0
(v)	2500 व. मी. से ज्यादा परन्तु 4000 व. मी. तक	40 %	12.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.0
(vi)	4000 व. मी. से ज्यादा परन्तु 1 हेक्टेयर तक	35%	15.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.0
(vii)	1 हेक्टेयर से ज्यादा	35%	18.0	9.0	9.0	9.0	विनियम 2.4 के अनुसार	1.0

टिप्पणी:

- (i) भूखण्ड यदि योजना का हिस्सा है तो योजना के प्रावधान प्रभावी होंगे सड़क की न्यूनतम चौड़ाई जैसी शर्तों की अनिवार्यता नहीं होगी।
- (ii) 4000 व.मी. से अधिक बड़े भूखण्डों के सामने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मी. होगी, यदि सड़क 18 मीटर से कम किन्तु 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी है तो देय एफ.ए. आर. 0.75 तक सीमित होगा।
- (iii) विनियम 4 के अनुसार पार्किंग का प्रावधान करना आवश्यक होगा।
- (iv) 15 मीटर से अधिक ऊंचा भवन होने पर लिफ्ट की सुविधा प्रदान करनी होगी तथा तदनुसार आपातकालीन, अग्निशमन आदि का प्रावधान करना होगा। अग्नि शमन के प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होंगे।

2. भवन मापदण्डों से सम्बन्धित टिप्पणी व स्पष्टीकरण:

2.1 सैट बैक :

- (i) सैटबैक का निर्धारण भूखण्ड की बाउण्ड्री से होगा।
- (ii) यदि किसी भूखण्ड पर देय सैट बैक्स के कारण तालिका में अंकित अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है यथा : 40 प्रतिशत अथवा 35 प्रतिशत तो उससे निम्न श्रेणी के भूखण्ड के सैटबैक्स की सीमा तक उस भूखण्ड के सैटबैक (अग्र सैट बैक्स को छोड़कर अन्य) में शिथिलता देय होगी
- (iii) विभिन्न आकार के भूखण्डों के आगे विभिन्न तालिकाओं में जो सैट बैक अग्र सैट बैक के रूप में दिए हैं वह संबंधित सड़क की चौड़ाई पर भी निर्भर

करेंगे । वह निम्नलिखित से कम नहीं होंगे ।

सड़क की चौड़ाई	अग्र सैटबेक
18 मीटर से कम	3.0 मीटर
18 मीटर से 24 मीटर तक	4.5 मीटर
24 मीटर से अधिक	6.0 मीटर

लेकिन सक्षम अधिकारी मौके की स्थिति को देखते हुए अथवा भवन रेखा को देखते हुए अथवा स्थल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भिन्न सैटबेक भी निर्धारित करने के लिए अधिकृत है ।

2.2 आच्छादित क्षेत्र :

(क) देय आच्छादन:

- (i) किसी भी प्रकार के भवन हेतु देय आच्छादन संबंधित तालिका के अनुरूप अथवा जहां सक्षम अधिकारी तय करने के लिए अधिकृत है वहां सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार देय होगा ।
- (ii) भवन के बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट को छोड़कर किसी भी मंजिल पर आच्छादन उपरोक्त बिन्दु संख्या (1) में वर्णित देय आच्छादन (संबंधित टेबल के कॉलम 3 में उल्लेखित) से अधिक नहीं होगा।

(ख) आच्छादित क्षेत्र की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जायेगा:

- (i) यदि आच्छादित नहीं हो तो उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुए की संरचना, खुला वाटरपूल एवं, स्विमिंग पूल, एवं उनकी संरचनाएं, जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक नहीं हो आग से बचाव हेतु जीना, वृक्ष का गट्टा (प्लेटफार्म) टैंक, फव्वारा, बैच, ऊपर से खुला हुआ चबूतरा एवं इनके समरूप संरचना।
- (ii) ड्रेनेज, कल्वर्ट, कन्ड्यूट, कैच, चेम्बर, गटर गार्वेज शूट (अधिकतम 0.6 मी. x 0.6 मी.) इत्यदि।
- (iii) कम्पाउण्ड वाल, गेट, बिना मंजिला पोर्च या पोर्टिको, स्लाईड, स्विंग, छज्जा, खुला रैम्प (जो स्टिल्ट के धरातल अथवा स्टिल्ट न होने की दशा में भूतल पर जाने के लिये हो) इत्यदि भागों से आच्छादित क्षेत्र। स्टिल्ट से बेसमेन्ट में जाने के लिए रैम्प।
- (iv) बालकनी जो कि भवन के बाहर 1.2 मीटर या सेटबैक दूरी का 1/3 जो भी कम हो, तक निकली हुई हो।
- (v) 500 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों में 6.25 वर्गमीटर तक का चौकीदार का कमरा।
- (vi) खुला ट्रांसफार्मर का चबूतरा एवं जनरेटर रूम जिसका क्षेत्रफल 20 व.

मी. से अधिक नहीं हो, इलेक्ट्रिक पैनल रूम 2 व.मी., पम्प रूम 2 व.मी.।

- (vii) बेसमेन्ट में जाने हेतु रैम्प सेटबैक में देय होगा बशर्त अग्निशमन वाहन के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो तथा बेसमेन्ट में जाने हेतु रैम्प अग्र सेटबैक में भूखण्ड की बाउण्ड्री से 6 मी. छोड़ने के बाद देय है।

2.3 एफ.ए.आर. :

- (क) किसी भूखण्ड में एफ.ए.आर. की गणना में तहखाना, स्टिल्ट्स, व मध्यवर्ती मंजिल का निर्मित क्षेत्र तथा भवन की अन्य सभी मंजिलों का सकल आच्छादित क्षेत्र शामिल होगा परन्तु निम्न विनियम 2.3(ख) के अनुसार छूट देय होगी। तालिकाओं में उल्लेखित एफ.ए.आर. अधिकतम है।
- (ख) निम्न वर्णित क्षेत्र को एफ.ए.आर. की गणना से छूट दी जा सकेगी :
- आच्छादित क्षेत्र की गणना से छूट हेतु विनियम 2.2 (ख) में वर्णित बिन्दु तथा
 - लिफ्ट वेल एवं लिफ्ट मशीन का कमरा, जीना / सीढ़ी कक्ष पर गुमटी।
 - जनरेटर रूम सेट बैक में बनाया जा सकता है बशर्त न्यूनतम सेट बैक 9 मी. हो एवं अग्निशमन वाहन के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होती हो।
 - बेसमेन्ट, स्टिल्ट व भवन का वह भाग जो पार्किंग के लिए प्रस्तावित है एवं इसके लिये संबंधित विभाग को भवन निर्माता द्वारा तय किये प्रारूप में तय प्रक्रियानुसार पत्र एवं अनुबन्ध दिया गया हो।
 - किन्हीं दो मंजिलों के बीच 2.00 मीटर की ऊंचाई तक सर्विस फ्लोर का क्षेत्रफल जो केवल भवन से संबंधित सर्विसेज के उपयोग में लिया जाये।
 - आग से बचाव हेतु खुली सीढ़ी जो कि भवन के साथ अथवा सेटबैक क्षेत्र में भवन से दूर हो तथा अग्निशमन वाहनों / यंत्रों के आवागमन में बाधा उत्पन्न ना करे।
 - पी.बी.एक्स एवं स्विच रूम जिसका क्षेत्रफल 20 व.मी. से अधिक नहीं हो यदि वातानुकूल उपकरण या इससे संबंधित मशीनें, भवन की आवश्यक सेवाओं के लिए लगाई जाती हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 4000 व.मी. तक के भूखण्डों में कुर्सी क्षेत्र का 10 प्रतिशत या 100 व.मी. जो भी कम हो तथा 4000 व.मी. क्षेत्रफल से ज्यादा बड़े भूखण्डों से कुर्सी क्षेत्र का 10 प्रतिशत या 200 व.मी. जो भी कम हो देय होगा।
 - रैम्पस :

- (क) पार्किंग क्षेत्र में पहुंचने हेतु वाहनों के लिये प्रस्तावित रैम्प,
 - (ख) अस्पताल एवं नर्सिंग होम में रूग्णों को लाने ले जाने के लिये रैम्प
 - (ग) सार्वजनिक भवनों में विकलांगों के लिये रैम्प जो कि 1.5 मी. से ज्यादा चौड़ा नहीं हो।
- ix. केवल ग्रुप हाउसिंग/फ्लेट्स के प्रकरणों में एफ.ए.आर. में गणना योग्य प्रत्येक 100 व.मी. निर्मित क्षेत्र पर 6 व.मी. घरेलू स्टोर के लिये एफ.ए.आर. में छूट दी जा सकेगी।
- x. 2.0 मी. तक चौड़ा सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित कोरीडोर / पेसेज/लॉबी यदि इससे अधिक चौड़ाई प्रस्तावित की जाये तो 2.0 मी. से अधिक चौड़ाई के क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।

2.4 ऊंचाई :

- (i) 24 मी. से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों में भवनों की ऊंचाई सामने के सड़क के डेढ़ गुना अथवा 24 मी. में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। 24 मी. अथवा उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों में भवनों की ऊंचाई 30 मीटर तक देय होगी। यदि भवन में स्टिल्ट/बेसमेन्ट पार्किंग हेतु बनाया जाना प्रस्तावित है तो केवल बेसमेन्ट पार्किंग की दशा में सामने से सड़क के स्तर से कुर्सी तक की ऊंचाई (अधिकतम 1.2 मी.) केवल स्टिल्ट पार्किंग हेतु प्रस्तावित किये जाने की दशा में स्टिल्ट की स्पष्ट ऊंचाई (अधिकतम 4 मी.) बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट दोनों को पार्किंग हेतु अनुबंधानुसार प्रस्तावित किये जाने की दशा में उपरोक्तानुसार दोनों को जोड़कर जैसा भी हो ऊंचाई की गणना में छूट दी जा सकेगी। किन्तु उपरोक्त ऊंचाई के प्रावधान निम्न पर लागू नहीं होंगे :
- (क) तालिका क, ख, ग एवं घ में जहां ऊंचाई का प्रावधान दर्शाया गया है।
 - (ख) पूर्व में स्वीकृत टाइप डिज़ान में जहां ऊंचाई का उल्लेख है।
 - (ग) योजना क्षेत्रों में यदि नीलामी की शर्तों में अधिक ऊंचाई दी जाती/गई है। देय ऊंचाई हेतु सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शाये अनुसार मान्य होगी।
- (ii) भवनों की ऊंचाई का निर्धारण भूखण्ड के सामने की सड़क के मध्य बिन्दु का औसत स्तर अथवा जहां यह सम्भव न हो वहां आस पास के औसत भूमितल को आधार मानकर होगा।
- (iii) सभी प्रकार के उपयोग एवं आकार के भूखण्डों हेतु निम्नलिखित अनुलगन

संरचनाएँ भवन की ऊंचाई में सम्मिलित नहीं की जायेंगी :

- (क) छत पर पानी का टैंक और उनकी सहायक संरचनाएँ जो ऊंचाई से 2.00 मीटर से अधिक न हो, यदि पानी का टैंक सीढ़ी कक्ष की गुमटी पर बनाया जाता है तो (गुमटी को शामिल करते हुये) ऊंचाई 5.0 मी. से अधिक नहीं हो,
 - (ख) संवातन, वातानुकूलन, लिफ्ट कक्ष और ऐसे सर्विस उपकरण, सीढ़ी जो गुमटी से आच्छादित हो तथा 3.00 मीटर से अधिक ऊंची न हो, लिफ्ट कक्ष जो 7.75 मीटर से अधिक ऊंचा न हो ।
 - (ग) चिमनी और पैरापेट वाल (मुंडेर) तथा ऐसे संरचनाएँ जो भवन की सौन्दर्य वृद्धि हेतु निर्मित की जाये जो 1.5 मीटर से अधिक न हो।
 - (घ) सौर ऊर्जा द्वारा पानी गरम करने का संयंत्र एवं इस संयंत्र में पानी की सप्लाई हेतु टैंक।
- (iv) जिन भूखण्डों में एक से अधिक सड़क लगती हो उनके लिए देय ऊंचाई एवं अन्य प्रावधान जैसे एफ.ए.आर. आदि चौड़ी सड़क को आधार मानकर देय होंगे।

3. भवन निर्माण के लिए आवश्यक आंतरिक मानदण्ड

3.1 बेसमेन्ट :

3.1.1 भवन में बेसमेन्ट के निर्माण हेतु निम्नानुसार सीमाएँ अनुज्ञेय होंगी :-

- (i) निर्धारित सेट बैक छोड़ने के पश्चात् शेष भाग पर बेसमेन्ट का निर्माण किया जा सकेगा परन्तु 15 व.मी. से छोटे वाणिज्यिक भवनों में बेसमेन्ट देय नहीं होगा।
- (ii) निचला बेसमेन्ट यानि बेसमेन्ट के नीचे बेसमेन्ट तभी अनुज्ञेय होगा यदि इसे पार्किंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह केवल उन्ही भूखण्डों में देय होगा जिनका क्षेत्रफल 1500 व.मी. या उससे अधिक है एवं इसके लिये पर्याप्त वातायन की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु किसी भी भूखण्ड पर दो से अधिक बेसमेन्ट देय नहीं होंगे।
- (iii) बेसमेन्ट की ऊँचाई न्यूनतम 2.75 मी. तथा अधिकतम 4.2 मी. होगी।
- (iv) भवन में बेसमेन्ट निर्धारित सेट बैक छोड़कर देय है तालिका में चाहे देय आच्छादन प्रतिशत से यह अधिक क्यों नहीं हो। यदि भवन की सीमाएँ बेसमेन्ट की सीमा से भिन्न है तो भवन के बाहर स्थित बेसमेन्ट की छत भूखण्ड के भूमि की स्तर से 1.2 मीटर से अधिक ऊँची नहीं बनाई जावेगी।

3.1.2 बेसमेन्ट के निर्माण हेतु निम्न शर्तों की अनुपालना आवश्यक होगी :-

- (i) प्रत्येक भाग फर्श से छत के नीचे की सतह या भीतरी छत तक कम से कम 2.75 मीटर ऊँचा होगा।
 - (ii) चार से अधिक मंजिलों वाले भवनों में उच्चतर मंजिलों से पहुंच और निकास के लिए की गई मुख्य एवं वैकल्पिक सीढ़ियों से भिन्न व्यवस्था द्वारा बेसमेंट में पहुँचने का रास्ता दिया जायेगा।
 - (iii) कार्यालय ओर वाणिज्यिक उपयोग हेतु तहखाने में पर्याप्त संख्या में ऐसे निकास के रास्ते बनाये जायेंगे कि उनमें 15 मीटर से अधिक न चलना पड़े।
- 3.1.3 बेसमेंट को निम्न उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।
- (i) ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डारण हेतु।
 - (ii) अन्य कोई गतिविधि जो की भवन में रहने वालों के लिये परिसंक्राम्य या हानिकारक हो।
- 3.1.4 इन विनियमों में बेसमेंट में अनुज्ञेय अन्य उपयोगों के अतिरिक्त निम्न उपयोग भी अनुज्ञेय होंगे :
- (i) यदि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार पर्याप्त वातायन प्रदत्त किया जाता है तो तहखाना रिहायशी उपयोग हेतु भी काम में लिया जा सकता है। साथ ही स्मॉक व टयलेट भी अनुज्ञेय होंगे यदि गन्दे पानी की समुचित निस्तारण व्यवस्था हो।
 - (ii) पुस्तकालय, समिति कक्ष एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु बशर्ते वातानुकूलन व्यवस्था हो।

3.2 स्टिल्ट फ्लोर :-

- 3.2.1 एक भवन में केवल एक ही स्टिल्ट फ्लोर देय होगा एवं स्टिल्ट फ्लोर के कुर्सी की ऊँचाई सड़क से न्यूनतम 0.5 मी. होगी।
- 3.2.2 यदि प्रार्थी चाहे तो स्टिल्ट फ्लोर भू मंजिल के ऊपर भी पार्किंग हेतु ले सकता है लेकिन ऐसे प्रकरणों में स्टिल्ट संबंधित तालिका में उल्लेखित अधिकतम अनुज्ञेय आच्छादन तक सीमित होगा।
- 3.2.3 कुर्सी तल से स्टिल्ट की छत तल तक की अधिकतम ऊँचाई 4.0 मीटर होगी।

3.3 सर्विस फ्लोर :-

किन्हीं दो मंजिलों के बीच में विभिन्न प्लम्बिंग, सेनेटरी एवं अन्य मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल सुविधाओं के पाइप, डक्ट आदि के लिए उपयोग के सर्विस फ्लोर बनाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम ऊँचाई 2.00 मीटर होगी।

3.4 गैराज :-

पार्श्व सेट बैक में केवल एक निजी गैराज उन रिहायाशी भूखण्डों में अनुज्ञेय होगा जहां यह सेटबैक न्यूनतम 3 मीटर होगा। गैराज का अधिकतम क्षेत्रफल 20 व.मी. होगा। गैराज आच्छादित क्षेत्रफल व एफ.ए.आर. की गणना में शामिल होगा। गैराज का निर्माण भूखण्ड की पिछली सीमा से 9 मीटर के भीतर किया जा सकता है। गैराज के ऊपर केवल प्रथम तल पर उतने ही क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। जो कि एफ.ए.आर. में शामिल किया जायेगा। 750 व.मी. से बड़े आवासीय भूखण्डों में यदि एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक प्रस्तावित है तो सेट बैक में गैराज देय नहीं होगा।

3.5 पोर्च :-

पोर्च साइड सेट बैक या अग्र सेट बैक में खम्बों के सहारे टिका हुआ या अन्यथा देय होगा लेकिन अग्र सेट बैक में पोर्च तभी देय हो सकता है जब अग्र सेट बैक 6.0 मी. या उससे अधिक हो। तथा साइड सेट बैक में पोर्च तभी देय होगा जब साइड सेट बैक न्यूनतम 3 मी. हो। पोर्च के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण देय नहीं होगा। सामान्यतयः एक भूखण्ड में एक पोर्च ही देय होगा।

3.6 बालकनी :-

- (क) बालकनी कम से कम दो तरफ से खुली होगी।
- (ख) बालकनी सेट बैक की दूरी की एक तिहाई या 1.2 मी. जो भी कम हो देय होगी। परन्तु बालकनी की चौड़ाई (उपरोक्त से ज्यादा) भवन रेखा से अन्दर की तरफ (अर्थात् भवन की तरफ) बढ़ाई जा सकती है लेकिन इस अतिरिक्त चौड़ाई से सम्बन्धित क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. व आच्छादित क्षेत्र में की जायेगी।
- (ग) यदि भवन में किसी तरफ का सेट बैक 6.0 मी. से अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार का आच्छादन भूमि तल से 3.5 मी. से ऊपर देय होगा एवं इसे शामिल करते हुये उस मंजिल पर कुल आच्छादन, संबंधित तालिका के कालम 3 में उल्लेखित अधिकतम अनुज्ञेय आच्छादन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसे एफ.ए.आर. में शामिल किया जायेगा।

3.7 सेट बैक क्षेत्र में अनुज्ञेय प्रक्षेप (प्रोजेक्शन)

- (क) छज्जा, जिसकी चौड़ाई 0.6 मी. या सेट बैक दूरी का एक तिहाई जो भी कम हो, तथा भूमि तल से 2.1 मी. से कम की ऊँचाई पर न हो।
- (ख) सीढ़ी का मध्यवर्ती ठहराव (लेडींग) जो कि चौड़ाई में 1.0 मी. या सेट बैक दूरी का एक तिहाई, जो भी कम हो एवं भूमि तल से 2.4 मी. से कम की ऊँचाई पर न हो। इसे जाली या ग्रिल से ढका जा सकता है। यह एफ.ए.आर.

तथा आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा।

- (ग) अलमारी, जो कि प्रत्येक रिहायशी कमरे पर 2.0 मी. लम्बाई एवं 0.6 मी. चौड़ाई की हो तथा भूमि तल से 3.5 मी. से कम की ऊँचाई पर न हो।
(घ) बालकनी जो कि चौड़ाई में 1.2 मी. या सेट बैक दूरी का एक तिहाई, जो भी कम हो, तथा भूमि तल से कम से कम 3.5 मी. की ऊँचाई पर हो।

4. पार्किंग सुविधा

4.1.1. भवन निर्माण हेतु निम्नानुसार पार्किंग सुविधा आवश्यक होगी :

- (क) आवासीय एवं अन्य उपयोग (वाणिज्यिक भवनों, सिनेमा एवं थियेटरो के अलावा) : एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 75 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र देय होगी लेकिन 500 वर्ग मीटर एवं उससे छोटे आवासीय भूखण्डों पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं होगी।
(ख) सिनेमा, थियेटर आदि : प्रति दस सीट पर एक समतुल्य कार इकाई।
(ग) वाणिज्यिक भवनों के लिये एक समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 50 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर देना आवश्यक होगा साथ ही तालिका “ग” के नीचे दी गई टिप्पणी में से पार्किंग से सम्बन्धित प्रावधान भी लागू होंगे।

4.1.2. एक इकाई ई.सी.यू. के लिए खुले में 25 वर्गमीटर, भूतल पर आच्छादित में 30 वर्गमीटर तथा बेसमेन्ट में 35 वर्गमीटर क्षेत्र आवश्यक होगा।

4.1.3. पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए कुल ई.सी.यू. का न्यूनतम 50 प्रतिशत कार पार्किंग के लिए ही निर्धारित होगा। तथा 40 प्रतिशत स्कूटर पार्किंग एवं 10 प्रतिशत साईकिल पार्किंग के लिए होगा।

4.1.4. 4.1.1 (क) (ख) एवं (ग) में वर्णित आवश्यक पार्किंग की गणना के लिए वह क्षेत्रफल आधार माना जायेगा जो एफ.ए.आर. में सम्मिलित किया जाता है।

4.1.5. विभिन्न वाहनों के लिए पार्किंग का स्थान निम्न प्रकार होगा किन्तु इसमें वाहन के चालन का क्षेत्र शामिल नहीं है। पार्किंग हेतु क्षेत्रफल की गणना विनियम 4.1.2 के आधार पर अथवा वास्तविक के आधार पर की जायेगी।

कार	2.75 मी. × 5.5 मी.
दुपहिया ओटो/स्कूटर	1 मी. × 2 मी.
साईकिल	0.5 मी. × 2 मी.

क्र.स.	भवनों की श्रेणी	गतिविधियां
1.	आवासीय भवन	Group /Flatted Housing, Plotted development etc.
2.	वाणिज्यिक भवन	All Commercial establishments including Shops, Multiplexes, Commercial Complexes, Commercial establishments of various service providers etc.
3.	संस्थागत भवन	All educational institutions, Hospitals, Offices of utilities belonging to various Public Bodies etc.

Clarifications, Stipulations and Notes related to FORM-'E-1' :

- (i) Provision of set backs, basements, calculation of FAR, ground coverage, maximum height of the building, parking requirements and other provisions of the building part including the definitions, which are not mentioned/covered in the above amended Building Byelaws/Parameters under FORM-'E-1' shall be governed by the relevant provisions of the State Model Building Byelaws, 2006.
- (ii) Existing procedure for approval of the Building Plans, time period for implementation of the project shall continue to be the same as prescribed in RIICO Disposal of Land Rules, 1979.
- (iii) The above amended Building Byelaws/Parameters under the FORM-'E-1' will come into force with effect from 23.5.2008 and will be primarily applicable to the new allotments and new conversion cases. However the old allottees/conversion cases may also opt the above cited Building Byelaws/Parameters (*relevant to the case*) but in toto, subject to the following riders:
- that building construction in non industrial plot should fulfill every building parameter of the amended building bye-laws of the Corporation.
 - with higher FAR, requirement of parking would be increased, therefore in constructed building if concurrent required parking is not available then increase in FAR would not be permitted. Similarly, ground coverage, setbacks and building height prescribed as per amended building byelaws would be followed. Only one set of building parameters, earlier or prevailing will be allowed.
 - the applicant will produce building plans of existing building showing all details of utilization and proposed construction as per amended building parameters.
 - any violation in respect of earlier building parameters should be penalized/removed first.
 - the above approval is also subject to the condition that the applicant shall furnish a legal undertaking to the effect that all the regulations

and conditions etc. of the new building parameters/bye-laws have been complied with in toto.

(Existing building parameters amended and substituted by the above as per approval by the IDC vide item 31 of its meeting held on 15.4.2008 and have come into force vide office order no. 9/2008 dated 23.5.2008. Amended as per approval by the IDC vide item 13 of its meeting held on 27.10.08. Amended further as per approval by the IDC vide item 14 of its meeting held on 19.6.09. Clarification by the IDC vide item 11 of the meeting held on 15.9.2009. Amended as per item 6 of IDC meeting dt. 10.2.2010)